न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 63/2021

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2021/189

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		1. करणीदान पुत्र नारायणदान, निवासी खारी खुर्द, जिला जोधपुर (वाहन चालक) (वाहन संख्या—आर.जे.18जीए 8935)

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 30।12।2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर ईसी एक्ट मे जप्तशुदा अवैध पैट्रोलियम प्रोडक्ट (बेस ऑयल) करीब 2200 लीटर एवं वाहन पीक—अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) का अवैध रूप से पैट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए एवं सहपठित मोटरस्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा आयल बेस 2200 लीटर एवं वाहन पीक—अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.09.2021 को मन लक्ष्मीनारायण बुनकर जिला रसद अधिकारी हमराह श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी प्रवर्तन निरीक्षक, मुरारी लाल प्रवर्तन निरीक्षक, सुरेन्द्रसिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बायोड़ीजल विभाग द्वारा भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की वाहन पिक—अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) का निरीक्षण किया। जिसके पीछे की तरफ एक चौक़ोर फिटेड़ टैंक था। जिस पर टोटलाईजर लगा हुआ था। वाहन चालक अप्रार्थी करणीदान से पुछताछ करने पर बताया कि वाहन टैंक में पैट्रोलियम प्रोड़क्ट बायोड़ीजल है जिसे वह 70/— रूपये लीटर से आमजन को बेच रहा है। उक्त बायोडिजल को रखने/बेचान करने के संबंध में पुछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही कोई आवश्यक दस्तावेज पेश किये। जिस पर सुरेन्द्रसिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बायोडीजल प्राधिकरण विभाग जयपुर द्वारा वाहन पीक—अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) को कब्जा राज लिया गया एवं जब्त वाहन के टैंक में से कम्पनी प्रतिनिधि की उपस्थिति

अति. जिला कलक्टर, पाली

में सैम्पल लिया तथा डेन्सिटी चेक करने पर 750–800 ज्ञहध्उ3 पाई गई, जो पैट्रोलियम प्रोडक्ट ड़ीजल/पैट्रोल के समकक्ष नहीं पाये जाने एवं मिलावटी अवैध पैट्रोलियम पदार्थ जैसा पाये जाने पर अग्रिम जांच हेतु कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा नियमानुसार तीन सेम्पल विशेषज्ञ लैब की जाचं हेतु लिये गये। जब्तशुदा वाहन मय पैट्रोलियम प्रोडक्ट करीब (बेस ऑयल) करीब 2200 लीटर एवं वाहन पीक–अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) का अवैध रूप से पैट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए एवं सहपठित मोटरस्प्रीट और उच्च वेग ड़ीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के कारण जब्तशुदा सामग्री राज्यसात कर जब्दशुदा पैट्रोलियम प्रोडक्ट ज्वनशील होने के कारण शीघ्र निस्तारण करावे।

अप्रार्थी अधिंवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने बिना किसी आधार के अप्रार्थी के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में प्रकरण पेश किया, जिसमें सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं कल्पना के आधार पर होने से काबिल खारिज योग्य है। अप्रार्थी बायोड़ीजल का व्यापार नहीं करता है एवं न ही मौके से बायोड़ीजल जब्त हुआ है। अप्रार्थी मोटर रिपेरिंग वर्क्स वालों से पुराना जला हुआ ऑयल खरीदकर उसे आर.सी.सी. ठेकेदारों को बेचनें का काम करता है, जिसका उपयोग ठेकेदार द्वारा आर.सी.सी. की प्लेटों व मशीनरी में किया जाता है। अप्रार्थी ने उक्त जब्तसुदा पुराना जला हुआ ऑयल न्यू गजानंद रिपेयरिंग वर्क्स, सुरसागर, बाईपास रोड जोधपुर से जरिये बिल क्रमांक 96 दिनांक 03.09.2021, 97 दिनांक 04.09.2021 तथा 98 दिनांक 05.09.2021 को अलग–अलग बिलों के खरीद कर उसका स्टॉक कर आर.सी.सी ठेकेदारों को देने जा रहा था, जिसे प्रार्थी ने बायोड़ीजल मान कर जैर प्रार्थना पत्र श्रीमान की न्यायालय में पेश किया है तथा लेब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी बरामद पदार्थ बायोफ्युल नहीं है, ऐसे में अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं मोटर स्प्रिट और उच्च वेग ड़ीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश, 2005 का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर ईसी एक्ट मे जप्तशुदा अवैध पैट्रोलियम प्रोड़क्ट (बेस ऑयल) करीब 2200 लीटर एवं वाहन पीक–अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) का अवैध रूप से पैट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए एवं सहपठित मोटरस्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा आयल बेस 2200 लीटर एवं वाहन पिक–अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के वाहन (पिकअप) से मौके पर प्राप्त तरल पदार्थ को बायोड़ीजल मानकर जब्त किया था लेकिन उक्त तरल पदार्थ की बायोफ्युल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर से प्राप्त जांच

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रिपोर्ट क्रमांक एफ6(122)आरडी/बीएफए/सेम्पल टेस्टींग/2021/1792 दिनांक 25.01.2022 के अनुसार "The above sample does not confirm as per is 15607:2016 RA 2020 (Bio Diesel) With respect To above test only" अर्थात् प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के वाहन से लिया गया तरल पदार्थ बायोड़ीजल की श्रेणी में नहीं आता है। हस्तगत प्रकरण में माननीय सेशन न्यायाधीश, पाली के निर्णय दिनांक 05.01.2022 के द्वारा जब्तसुदा वाहन पिक–अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) को वाहन सुपुर्दगी नामे पर इस शर्त पर रिलिज किया कि अप्रार्थी उक्त वाहन का बेचान, अन्तरण एवं खुर्द बुर्द नहीं करे, जो कि वर्तमान में अप्रार्थी के हस्ते है।

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा जिस तरल पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था, वह बायोडीजल की श्रेणी में नहीं आता है अर्थात् अप्रार्थी द्वारा पैट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए एवं सहपठित मोटरस्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 3/7 का उल्लंघन नहीं किया गया है परंन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त तरल पदार्थ की खरीद से सम्बन्धिंत जो बिल पेश किये है वह कच्चे बिल है, जिस पर न तो फर्म का नाम अंकित है और न ही जी.एस.टी. नम्बर अंकित है। साथ ही उक्त पदार्थ के परिवहन के सम्बन्ध में उनके द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र भी पेश नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा जी.एस.टी. चोरी करते हुये अवैध तरीके से उक्त तरल पदार्थ का व्यावसायिक परिवहन/वितरण किया जा रहा था, जो कि दण्डनीय अपराध है, साथ ही राजकोष में हानि भी दृष्टिगोचर होती है। अतः अप्रार्थी द्वारा अवैध तरीके से परिवहन/विक्रय किये जा रहे कब्जे सरकार लिये गये 2200 लीटर तरल पदार्थ को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

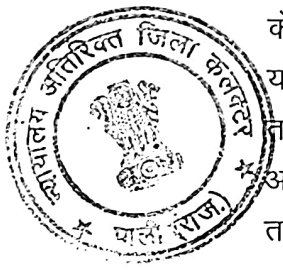

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा वाहन पिक–अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) चौकोर फिटेड़ टैंक (लोहे की आयताकार टंकी) 5'x4'.10'x3' में तरल पदार्थ 2200 लीटर का जी.एस.टी. चोरी करते हुये अवैध तरीके से परिवहन/विक्रय करना दण्डनीय अपराध होने से कब्जे सरकार लिये गये 2200 लीटर तरल पदार्थ को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है एवं जब्त चौकोर फिटेड़ टैंक (लोहे की आयताकार टंकी) 5'x4'.10'x3' अप्रार्थी को सुपुर्द करने तथा प्रकरण में जब्त पिक–अप (वाहन संख्या आर.जे. 18 जीए 8935) का अगर किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को इन निर्देशों के साथ प्रेषित की जाती है कि राज्यसात किये गये 2200 लीटर तरल पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कर इस न्यायालय को सूचित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली